न्यायमूर्ति वि एम जैन

भूषण थापर—याचिकाकर्ता

बनाम

मैसर्स गणेश स्टील कॉरपोरेशन और अन्य —प्रतिवादी

Crl. Misc. No. 6601-M of 2000

16th नवंबर 2000

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा. 311--ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के आवेदन को खारिज करना-केवल आपराधिक शिकायत के निपटान में देरी या पिछली कार्यवाही में शिकायतकर्ता के वकील ने 2 तारीखों के भीतर साक्ष्य समाप्त करने का वचन दिया था,अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति ना देने का आधार नहीं माना जा सकता - बदली हुई परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने से रोका नहीं जा सकता - याचिका स्वीकार की गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि शिकायतकर्ता द्वारा धारा 311 सीआर पी.सी. के तहत दायर आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि इससे आपराधिक शिकायत के निपटान में देरी होगी या पिछली कार्यवाही में, शिकायतकर्ता के वकील ने एक वचन दिया था कि शिकायतकर्ता के साक्ष्य पूरा करने के लिए केवल 2 अवसरों की आवश्यकता होगी। मामला अभी भी बचाव साक्ष्य के चरण में था, जब धारा 311 सीआर.पी.सी. के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन दायर किया गया था। यदि उस आवेदन को अनुमति दी जाती है, तो आरोपी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आरोपी को अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों का खंडन करने के लिए बचाव में सबूत पेश करने का अवसर मिलेगा। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि शिकायतकर्ता अपने द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और न ही इससे आरोपी के बचाव में कोई पूर्वाग्रह पैदा होगा, क्योंकि मामला अभी भी बचाव साक्ष्य के चरण में

है। बदली हुई परिस्थितियों में शिकायतकर्ता को अतिरिक्त सबूत पेश करने से नहीं रोका जा सकता।

(अनुच्छेद 11)

लिसा गिल, याचिकाकर्ता की ओर से वकील
परवीन कटारिया, प्रतिवादी के वकील

फैसला

न्यायमूर्ति वी एम जैन

(1) यह सीआरपीसी की धारा 482 के तहत एक याचिका है, जो याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 20 मई, 1999 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सीआरपीसी की धारा 311 के तहत शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के अतिरिक्त सबूत के लिए आवेदन को खारिज कर दिया गया है और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 11 नवंबर, 1999 को पारित आदेश में शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित 20 मई, 1999 के उक्त आदेशों को चुनौती देते हुए दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को खारिज हकिया गया था।

(2) याचिका में, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया था कि उसने आरोपी-प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के संबंध में परक्राम्य लिखत अधिनियम (बाद में अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 138 के तहत विभिन्न चेकों का अनादर होने पर आपराधिक शिकायतें दर्ज की थीं। आगे यह भी आरोप लगाया गया कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने विवादित राशि की वसूली के लिए आरोपी प्रतिवादियों के खिलाफ एक सिविल मुकदमा भी दायर किया था। उक्त मुकदमे में, आरोपी प्रतिवादियों ने रसीदों के निष्पादन और चेक के निष्पादन से इनकार कर दिया था। आपराधिक शिकायत में यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 311 के तहत 14 मार्च, 1997 को तुलना के उद्देश्य से आरोपी-प्रतिवादी के पिता हीरा लाल के नमूना लेखन के लिए एक आवेदन दिया ताकि वह यह साबित कर सके कि विवादित चेक आरोपी-प्रतिवादी के पिता हीरा लाई द्वारा भरे गए थे, लेकिन बाद में, हीरा लाल की मृत्यु हो गई थी। आरोप था कि आवेदन पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

आगे यह भी आरोप लगाया गया कि क्रिमिनल मिस 22634-एम 1996 में, इस न्यायालय ने, दिनांक 7 फरवरी, 1997 के आदेश के तहत, याचिकाकर्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दो और अवसर दिए थे और उसके अनुसरण में, याचिकाकर्ता दो और अवसर दिए गए थे और फिर ट्रायल कोर्ट के दिनांक 27 मई, 1997 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता का साक्ष्य अदालत द्वारा बंद कर दिया गया था। यह आगे आरोप लगाया गया कि बाद में, सिविल मुकदमे में, याचिकाकर्ता को पता चला कि उपरोक्त हीरा लाल एक शिक्षक के रूप में सेवानिवृत्त हो गए थे और उसके बाद, याचिकाकर्ता ने सेवा रिकॉर्ड तलब किया था और लिखावट की तुलना के बाद, यह रिकॉर्ड पर आया कि वे चेक आरोपी-प्रतिवादी के पिता हीरा लाल द्वारा भरे गए थे। यह भी कहा गया कि इसके बाद ही याचिकाकर्ता ने पंजाब के महालेखाकार के कार्यालय से और जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से और एटीओ के कार्यालय से हीरा लाल से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड के साथ संबंधित क्लर्क को बुलाने और जांच करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दिया ताकि वह यह साबित कर सके की वे चेक आरोपी-प्रतिवादी के पिता हीरा लाल द्वारा भरे गए थे। यह कहा गया था कि विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट ने, दिनांक 20 मई, 1999 के आदेशों के तहत, शिकायतकर्ता/याचिकाकर्ता के उक्त आवेदनों को गलत तरीके से केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि आवेदन कार्यवाही में देरी करने के लिए दायर किए गए थे। यह कहा गया कि सत्र न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं को दिनांक 11 नवंबर, 1999 के आदेशों के माध्यम से गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। तदनुसार यह प्रार्थना की गई थी कि निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द कर दिया जाए और याचिकाकर्ता को न्याय के हित में अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से गवाहों की जांच करने का अवसर दिया जाए।

(3) कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया। वास्तव में, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के विद्वान वकील ने कहा कि किसी उत्तर की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उन्होंने याचिका का विरोध किया था।

(4) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

(5) प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि धारा 311, सीआरपीसी के तहत आवेदनों को खारिज करने वाले आदेशों के खिलाफ कोई पुनरीक्षण सक्षम नहीं था। अमरनाथ और अन्य बनाम हरियाणा के राज्य और अन्य (1) और वीपी गनरेजा बनाम जगदीश चंदर

रहेजा (2) पर भरोसा रखा गया था। हालाँकि, मुझे विद्वान वकील की इस दलील में कोई योग्यता नहीं मिली।

(6) वर्तमान मामले में, शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता द्वारा सत्र न्यायालय के समक्ष दायर किए गए पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई थी। निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों से असंतुष्ट होकर, याचिकाकर्ता ने इस अदालत में सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की थी। इन परिस्थितियों में, भले ही सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण सुनवाई योग्य नहीं थे, फिर भी इस न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदनों को खारिज करते समय विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों की वैधता पर विचार करने के लिए सक्षम होगा। वर्तमान मामले के तथ्यों पर इस न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्तियों के प्रयोग पर कोई रोक नहीं होगी। इस संबंध में कृष्ण और अन्य बनाम कृष्णवेनी और अन्य (3) के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून पर भरोसा किया जा सकता है। अन्यथा भी, यदि सत्र न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण विचारणीय नहीं था, तो यह नहीं कहा जा सकता कि याचिकाकर्ता ने दूसरा पुनरीक्षण दायर करने के अवसर का लाभ उठाया था, खासकर जब वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की मांग करतेभ हुए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की है। इस प्रकार, मुझे प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा मेरे समक्ष उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति में कोई योग्यता नहीं दिखती है।

(7) गुण-दोष के आधार पर, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा मेरे समक्ष यह प्रस्तुत किया गया था कि पक्षों के बीच न्याय करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य का उत्पादन आवश्यक था। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि हीरा लाल की मृत्यु हो गई थी, इसलिए उनका नमूना लेखन प्राप्त नहीं किया जा सका। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता को पहले नहीं पता था कि हीरा लाल एक शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, इसलिए शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता द्वारा उस समय संबंधित रिकॉर्ड को तलब नहीं किया जा सका जब शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने साक्ष्य प्रस्तुत किया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि चेक पर विवादित लिखावट के साथ हीरा लाल की स्वीकृत लिखावट की तुलना के उद्देश्य से अतिरिक्त साक्ष्य का उत्पादन आवश्यक था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत याचिकाकर्ता के आवेदनों को खारिज करने के लिए विद्वान ट्रायल मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए कारणों में से एक यह

था कि इस न्यायालय में दायर पहले की याचिका में, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता ने 2 तारीखों के भीतर शिकायतकर्ता के साक्ष्य को समाप्त करने का वचन दिया था और इस आवेदन को दायर करके, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता पारित आदेशों को दरकिनार करना चाहता था। यह प्रस्तुत किया गया कि वास्तव में, अतिरिक्त सबूत पेश करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दाखिल करने का अवसर इसलिए आया क्योंकि शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता को पहले यह नहीं पता था कि हीरा लाल एक शिक्षक के रूप में काम कर रहे थे और अतिरिक्त सबूत पेश करना था। न्याय के हित में साक्ष्य आवश्यक था। मोहनलाल शामजी सोनी बनाम भारत संघ और अन्य (4) पर भरोसा रखा गया था।

(8) पक्षों के वकील को सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद, मेरी राय में, वर्तमान याचिका सफल होनी चाहिए और निचली अदालतों द्वारा पारित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए।

(9) जैसा कि ऊपर बताया गया है, याचिकाकर्ता आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत में शिकायतकर्ता है। इन परिस्थितियों में, शिकायतकर्ता के लिए आपराधिक शिकायत के निपटान में देरी करने का कोई अवसर नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पहले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 7 फरवरी, 1997 के अनुसरण में, शिकायतकर्ता ने अपना साक्ष्य समाप्त कर दिया था और शिकायतकर्ता का साक्ष्य 27 मई, 1997 को बंद कर दिया गया था। हालाँकि, बाद में, यदि शिकायतकर्ता ने पता चला कि आरोपी-प्रतिवादी के पिता हीरा लाल एक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और चेक पर विवादित लिखावट के साथ अपनी लिखावट की तुलना करने के लिए, यदि शिकायतकर्ता अतिरिक्त साक्ष्य की जांच करना चाहता था, मेरी राय है, इसे केवल इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पिछली याचिका में, याचिकाकर्ता के वकील ने केवल 2 तारीखें लेकर साक्ष्य समाप्त करने का वचन दिया था। उक्त वचन उन परिस्थितियों में दिया गया था। इस बीच, परिस्थितियाँ बदल गई थीं और बदली हुई परिस्थितियों में, केवल शिकायतकर्ता के वकील द्वारा दिए गए पहले वचन के कारण शिकायतकर्ता को अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने से नहीं रोका जा सकता था क्योंकि अतिरिक्त साक्ष्य मामले की जड़ तक जाता है। वर्तमान मामले में, आरोपी ने रसीदों और चेकों के निष्पादन से इनकार कर दिया था। मेरी राय में, चेक पर लिखावट आरोपी प्रतिवादी के पिता की होने को साबित करने के लिए, अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना शिकायतकर्ता के अधिकार में होगा। मेरी राय में, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार

पर, आपराधिक शिकायत के निपटारे में केवल देरी को अतिरिक्त साक्ष्य के उत्पादन को अस्वीकार करने के आधार के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

(10) (1991(3) रीसेंट क्रिमिनल रिपोर्ट 182(सुप्रा), में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा निम्नानुसार आयोजित किया गया:-

"न्यायालय को सच्चाई का पता लगाने और उचित निर्णय देने में सक्षम बनाने के लिए, संहिता की धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) के लाभकारी प्रावधान लागू किए गए हैं, जिसके तहत किसी भी न्यायालय द्वारा अपने विवेकाधीन अधिकार का किसी भी स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है। जिसके अंतर्गत वह पूछताछ, मुकदमा या अन्य कार्यवाही मै किसी भी व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है या उपस्थिति में किसी व्यक्ति से पूछताछ कर सकती है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या उपस्थिति में किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकती है या दोबारा पूछताछ कर सकती है, भले ही उसे गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया हो, या पहले से मौजूद किसी भी व्यक्ति को वापस बुला सकती है या दोबारा पूछताछ कर सकती है जिनके विवादित मामले पर प्रकाश डालने में सक्षम होने की उम्मीद है; क्योंकि यदि तथ्यों की अव्यवस्थित, अनिर्णायक और काल्पनिक प्रस्तुति पर निर्णय दिए जाएंगे, तो न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा।''

इसे आगे सुप्रीम कोर्ट के आधिपत्य द्वारा उक्त प्राधिकारी में निम्नानुसार रखा गया था: -

> "हालांकि धारा 540 (नई संहिता की धारा 311) व्यापक संभव शर्तों में है और इसमें किसी सीमा की आवश्यकता नहीं है, या तो उस चरण के संबंध में जिस पर अदालत की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, या जिस तरीके से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, यह शक्ति धारा 540 को रेखांकित करने वाले सिद्धांत द्वारा सीमित है, अर्थात्, प्राप्त किए जाने वाले साक्ष्य सभी कानूनी तरीकों से सच्चाई प्राप्त करके मामले के उचित निर्णय के लिए अदालत को आवश्यक प्रतीत होने चाहिए। इसलिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि धारा की सहायता केवल प्रासंगिक तथ्यों की खोज करने या मामले के उचित निर्णय के लिए ऐसे तथ्यों का उचित प्रमाण प्राप्त करने के उद्देश्य से ही लागू की जानी चाहिए और इसका उपयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए, न कि मनमौजी या मनमाने ढंग से। क्योंकि शक्ति का कोई भी अनुचित या मनमौजी प्रयोग अवांछनीय परिणाम दे सकता है।

इसके अलावा, यह अनिवार्य है कि इस धारा के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय अदालत को उचित सावधानी बरतनी चाहिए और इसका उपयोग अभियोजन या बचाव पक्ष द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा करने या अभियुक्त को नुकसान पहुंचाने या उकसाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अभियुक्त के बचाव में गंभीर पूर्वाग्रह या प्रतिद्वंद्वी पक्ष को अनुचित लाभ देना और इसके अलावा अतिरिक्त सबूतों को दोबारा सुनवाई के लिए या किसी भी पक्ष के खिलाफ मामले की प्रकृति को बदलने के लिए प्राप्त नहीं किया जाना चाहिए।''

(11) उपर्युक्त फैसले में सर्वोच्च न्यायालय के आधिपत्य द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, मेरी राय में, शिकायतकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा दायर धारा 311, सीआरपीसी के तहत आवेदन को केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि इससे आपराधिक शिकायत के निपटान में देरी होगी या पिछली कार्यवाही में, शिकायतकर्ता के वकील ने एक वचन दिया था कि शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य पूरा करने के लिए केवल 2 अवसरों की आवश्यकता होगी। वर्तमान मामले में, मामला अभी भी बचाव साक्ष्य के चरण में था जब शिकायतकर्ता द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत आवेदन दायर किए गए थे। यदि उन आवेदनों को अनुमति दी जाती है, तो आरोपी को किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आरोपी को अतिरिक्त साक्ष्य के माध्यम से शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए सबूतों का खंडन करने के लिए बचाव में सबूत पेश करने का अवसर मिलेगा। वर्तमान मामले में, यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि शिकायतकर्ता अपने द्वारा छोड़ी गई कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और न ही इससे आरोपी के बचाव में कोई पूर्वाग्रह पैदा होगा, क्योंकि मामला अभी भी बचाव साक्ष्य चरण में है। पहले शिकायतकर्ता हीरा लाल की लिखावट का नमूना लेना चाहता था। हालाँकि, ऐसा करने से पहले, हीरा लाल की मृत्यु हो गई। इन परिस्थितियों में, चेक पर विवादित लेखन के साथ हीरा लाल के लेखन के नमूने की तुलना करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य का उत्पादन निश्चित रूप से न्याय के हित में होगा। मेरी राय में, आरोपी प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने जिस फैसले मदनजीत सिंह बनाम बलजीत सिंह (5) पर भरोसा किया, वह वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होगा।

(12) वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, मेरी राय में, यह एक उपयुक्त मामला था जहां विद्वान मजिस्ट्रेट को शिकायतकर्ता को इस मामले में अतिरिक्त सबूत पेश करने की अनुमति देनी चाहिए थी। तदनुसार, वर्तमान याचिका की अनुमति दी जाती है, निचली अदालतों द्वारा पारित

आदेशों को रद्द कर दिया जाता है और शिकायतकर्ता–याचिकाकर्ता को संबंधित रिकॉर्ड के साथ संबंधित गवाहों को बुलाकर अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जाती है।

(13) चूंकि इस न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित करने पर रोक लगा दी गई थी, इसलिए कार्यालय को सख्त अनुपालन के लिए इस आदेश की एक प्रति तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजने का निर्देश दिया जाता है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा